

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	5]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2019/पौष 13, 1940
No.	5]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13, 1940

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 5(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धाराओं 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में और संशोधन लाने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और आरंभ- (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 कहा जाए।
  (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम सं. 112 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट किया जाएगा अर्थातु:—

क्र.सं.	उद्योग	मानदंड	Ŧ	<b>ानक</b>
1	2	3		4
"113	केरोसीन मानक	विशेषताएं	अपेक्षा	
			श्रेणी क	श्रेणी ख
		प्रकटन	स्वच्छ और	स्वच्छ और चमकीला।
			चमकीलाः। अविघटित	अविघटित जल,
			जल, विजातीय पदार्थ	विजातीय पदार्थ तथा
			तथा अन्य दृश्य	अन्य दृश्य अशुद्धताओं से
			अशुद्धताओं से मुक्त,	मुक्त,

46 GI/2019 (1)

अम्लता, अकार्बनिक	शून्य	शून्य
दहन गुणवत्ता <sup>(2)</sup>		
(क) जले हुए कोयले का मान, खपत हुए	20	20
तेल का मान मि.ग्रा/कि.ग्रा, अधिकतम		
(ख) कांच की चिमनी पर चमक	धूसर से अधिक गहरा नहीं।	धूसर से अधिक गहरा नहीं।
रंग		
(क) सेबोल्ट (रंगहीन केरोसीन के	10	10
मामले) <sup>(3)</sup> , न्यूनतम		
(ख) प्रकटन (रंग मिलाए गए केरोसीन के मामले में)	नीला	नीला
तांबे की पट्टी का 50°C तापमान पर	नं 1 से खराब नहीं	नं. 1 से खराब नहीं
3 घंटे तक संक्षारण		
15ºC तापमान पर घनत्व, कि.ग्रा/m³	सीमित नहीं, किन्तु	सीमित नहीं, किन्तु रिपोर्ट
	रिपोर्ट दी जानी है।	दी जानी है।
आसवन		
(क) 200⁰C से कम तापमान पर प्राप्त	20	20
प्रतिशत, प्रतिशत (v/v), न्यूनतम		
(ख) अंतिम क्वथनांक, ºC, अधिकतम	300	300
ज्वलनांक (एबेल), ºC, न्यूनतम	35	35
धूमांक <sup>(4)</sup> , mm, न्यूनतम	18	18
गंधक की कुल मात्रा, प्रतिशत <sup>(5)</sup> mm, अधिकतम	0.10	0.20 *
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वष्	। र्ग 2020 तक श्रेणी क केर	 ोसीन उत्पादित और आपर्ति
करने का प्रयास करेगा।		

## टिप्पण:

- (1) विवाद के मामले में, यह मध्यस्थ पद्धति होगी।
- (2) यह परीक्षण शोधन कारखानों की ओर से किया जाएगा।
- (3) जहां सेबोल्ट क्रोमोमीटर उपलब्ध नहीं है, वहां 18 सेल में रखे गए नमूने के लोवीबांड रंग को आईएस 1448:पी-13 के अनुसार मापा जाएगा, जिस मामले में रंग मानक सफेद (आईपी 4.0) से अधिक गहरा नहीं होगा, तथापि विवाद के मामले में [पी:14] मध्यस्थ पद्धति अपनाई जाएगी।
- (4) प्रतिरक्षा और रेलवे सिगनल लैम्पों हेतु आपूर्ति के लिए उत्पाद का धूमांक 22 mm, न्यूनतम होगा।
- (5) सभी अन्य विनिर्देशों अर्थात् विधियों, विषय क्षेत्र, संदर्भों, श्रेणियों, अपेक्षाओं, पैकिंग और विपणन एवं नमूना एकत्रीकरण के लिए जुलाई, 2018 में प्रकाशित केरोसीन-विनिर्देशों हेतु भारतीय मानक आईएस 1459:2018 (चतुर्थ संशोधन), आईसीएस सं. 75.160.20 को पूरा करना अपेक्षित है।

[फा.सं. क्यू-15017/01/2018-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

## टिप्पण:-

मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ.सं. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1095 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2018 को संशोधित किया गया था।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2019

- **G.S.R. 5(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986,namely:—
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Schedule I, after serial number 112 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard	
1	2	3	4	
"113	Kerosene standards	Characteristic	Requirement	
			Grade A	Grade B
		Appearance	Clear and bright. Free from un- dissolved water, foreign matter and other visible impurities	Clear and bright. Free from un- dissolved water, foreign matter and other visible impurities
		Acidity, inorganic	Nil	Nil
		Burning quality <sup>(2)</sup>		
		(a) Char value, mg/kg of oil consumed, <i>Max</i>	20	20
		(b) Bloom on glass Chimney	Not darker than grey	Not darker than grey
		Colour		
		(a) Saybolt (in case of undyed Kerosene) <sup>(3)</sup> , <i>Min</i>	10	10
		(b) Visual (in case of dyed Kerosene)	Blue	Blue
		Copper strip corrosion for 3 h at 50°C	Not worse than No.1	Not worse than No.1
		Density at 15°C, kg/m <sup>3</sup>	Not limited, but to be reported	Not limited, but to be reported
		Distillation		
		(a) Percent recovered below 200°C, percent (v/v), <i>Min</i>	20	20

(b) Final boiling point, <sup>0</sup> C, <i>Max</i>	300	300
Flash point (Abel), <sup>0</sup> C, <i>Min</i>	35	35
Smoke point <sup>(4)</sup> , mm, <i>Min</i>	18	18
Total sulphur content, percent <sup>(5)</sup> , m/m, <i>Max</i>	0.10	0.20*
*The Ministry of Petroleum Kerosene by 2020.	n and Natural Gas shall make effor	ts to produce and supply Grade A

## **NOTES:**

- (1) In case of dispute, this shall be the referee method.
- (2) This test is to be done at refinery end.
- (3) Where Saybolt chromo meter is not available Lovibond colour of the sample kept in an 18 cell may be measured according to IS 1448: P-13 in which case the colour shall not be deeper than standard white (IP 4.0), however, in case of dispute [P:14] shall be referee method.
- (4) For supplies to Defence and Railway signal lamps the smoke point of the product shall be 22 mm, Minimum.
- (5) For all other specifications i.e. test methods, scope, references, grades, requirements, packing and marketing and sampling. It is require to meet Indian Standard IS 1459:2018 for Kerosene Specifications (Fourth Revision), ICS No. 75.160.20, published in July, 2018".

[F. No. Q-15017/01/2018-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and last amended *vide* notification G.S.R. 1095(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2018.